

वादपत्र संख्या 21/2015

दायर तारीख 11.06.2015

1. मोती पिता पाबू जाति बंजारा (गंवार) उम्र 70 वर्ष निवासी दुधियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादी

बनाम

- 1.दुदा पिता पाबू बंजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. किशना पिता पाबू बंजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. पीरू पिता पाबू बंजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मुजसली बेवा मांगीलाल बंजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. खाना पिता कंजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मेघराज पिता कंजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. फौरूलाल कंजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. शंभु पिता कंजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. उदयलाल पिता कंजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. गीता पुत्री कजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. सुगनी बेवा कजोड बंजारा व्यस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. सोहनी देवी पत्नी मोहनलाल मेवाडा व्यस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ ।
14. कोटक महिन्द्रा बैंक जरिये प्रबंधक कोटक महिन्द्रा बैंक भीलवाडा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:- लक्ष्मीलाल सुराणा अधिवक्ता वादी
ब्रहम प्रकाश तिवाडी अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 रा0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक :- 26.06.2018

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.09.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जलिन्द्री स्थित आ0नं0 235 रकबा 20 बीधा 10 विस्वा , आ0नं0 233 रकबा 16 विस्वा का दर्ज हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 से 11 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे साथ ही आ0 नं0 234 रकबा 8 बिस्वा व 235/1 रकबा 3 बिस्वा गै0 मु0 चाह शामिल करे

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी
 न्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित
 नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये

खतेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
मोती पिता पाबू बंजारा सा0 देह खातेदार	जलिन्द्री	235/2	3-00	चाही III	9-14
योग		किता 01	3-00	-	9-14
02 काना, मेघराज, फोरुलाल, शंभूलाल, उदयलाल पिता कजोड गीता पुत्री कजोड, सुगनी बाई पत्नि स्व0 कजोड, किसना पिता पाबू, जसली पत्नि मांगीलाल 170/341 दूदा पिता पाबू 113/341 बंजारा पिरु पिता पाबू 18/341 बंजारा सोहनी देवी पत्नि मोहनलाल मेवाडा 40/341 सा0 देह खातेदार	जलिन्द्री	235 235/4	16-07 0-14	चाही III चाही III	51-03
योग		किता 02	17-01	-	51-03
03 काना, मेघराज, फोरुलाल, शंभूलाल, उदयलाल पिता कजोड गीता पुत्री कजोड, सुगनी बाई पत्नि स्व0 कजोड, पिरु, किसना पिता पाबू, जसली पत्नि मांगीलाल 4/6 दूदा पिता पाबू 2/6 बंजारा सा0 देह खातेदार रहन कोटेक महेन्द्रा बैंक हिस्सा कजोड किसना व जसली का	जलिन्द्री	233	0-16	चाही III	2-40
योग		किता 01	0-16	-	2-40
04 काना, मेघराज, फोरुलाल, शंभूलाल, उदयलाल पिता कजोड गीता पुत्री कजोड, सुगनी बाई बैवा स्व0 कजोड, मोती, पिरु, किसना पिता पाबू, जसली बैवा मांगीलाल 5/7 दूदा पिता पाबू 2/7 बंजारा सा0 देह रहन कोटेक महेन्द्रा बैंक हिस्सा कजोड किसना व जसली का	जलिन्द्री	234 235/1 235/3	0-08 0-03 0-09	गै0मु0 चाह गै0मु0 आचा गै0मु0 रास्ता	-
योग		किता 03	1-00	-	-

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन
ल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना
र।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट जलिनद्री
पर सुनाया गया।

26/06/18
(प्रवीण कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलिया

कैम्प जलिनद्री